I/304015/2023

महत्वपूर्ण

संख्या- 46 /2023/ 684 /26-3-2023-1694585

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,भागीदारी भवन,
गोमतीनगर, उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल 2023

विषयः- समाज कल्याण विभाग के अधीन सतर्कता प्रकोष्ठ गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-943/1-29/2020-21/शो0प्र0सं0/लखनऊ, दिनांक-04.01.2022 एवं पत्र संख्या-1246/1-29/2020-21/शो0प्र0सं0/लखनऊ, दिनांक-24.02.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण का कष्ट करें, जिनके द्वारा कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996 टी0सी0-।। दिनांक-05.01.1996 में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु संस्थान के अधीन सतर्कता प्रकोष्ठ गठित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996 टी0सी0-।। दिनांक-05.01.1996 में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के सम्बन्ध में प्रस्तर-4 में निम्नवत व्यवस्था की गई है:-

" उ0प्र0 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय तथा उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अधीन एक-एक सतर्कता-कोष्ठक कार्य करेगा तथा प्रत्येक कोष्ठक में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी जो "सतर्कता अधिकारी" पदनामित किये जायेंगे तथा अपेक्षित संख्या में पुलिस निरीक्षक होंगे, जिनकी सेवायें पदों सहित शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा उक्त कोष्ठकों के लिये उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-05.01.1996 के अनुपालन में उ0प्र0 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय में सतर्कता-कोष्ठक का गठन नहीं हुआ है तथा सम्प्रति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अधीन राज्य स्तर पर गठित सतर्कता-

कोष्ठक द्वारा ही समाज कल्याण विभाग में प्राप्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सत्यापन से संबंधित जांच भी करायी जा रही है।

4- पिछडा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक(स्थापना) मुख्यालय , पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को संबोधित एवं समाज कल्याण विभाग को पृष्ठांकित अपने पत्रांक 2714/पि0व0 क0/2022-23 दिनांक 20-1-23 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि उनके नियंत्रणाधीन गठित सतर्कता प्रकोष्ठ में राजपत्रित/ अराजपत्रित पदों के कुल 06 पदों-01 अपर पुलिस अधीक्षक/02 निरीक्षक/उप निरीक्षक/01 आशुलिपिक एवं 02 आरक्षी के पदों के सापेक्ष सम्प्रति सिर्फ एक ही निरीक्षक तैनात होने के कारण उनके पास लंबित प्रकरणों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित प्रकरणों में भी कार्यवाही लंबित है।

5- विगत समय में राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुये जाति सत्यापन के विभिन्न प्रकरणों में यह पाया गया है कि निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन गठित सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा अधिकांश प्रकरणों में *बिना सम्पुष्ट आधार* के जनपद स्तरीय जाति सत्यापन समिति एवं मण्डल स्तरीय जाति सत्यापन समिति के निर्णयों से विपरीत निष्कर्ष दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप राज्य स्क्रूटनी सत्यापन समिति के स्तर पर समग्र तथ्यों के परीक्षण /विवेचन के उपरान्त सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा दिये गये निष्कर्ष /संस्तुति से भिन्न निर्णय लेने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

6- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उ0प्र0 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों हेतु संचालित योजनाओं के मूल्यांकन/ अध्ययन एवं विषयगत जातियों पर शोध (मानव शास्त्रीय एवं नृजातीय अध्ययन) का कार्य किया जाता है। उक्त हेतु संस्थान की शोध टीम स्थानीय स्तर पर जाकर किसी जाति विशेष के बारे में जानकारी करती है एवं नृजातीय अध्ययन करती है।

7- अत: वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-05.01.1996 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-(4)में दी गयी व्यवस्था के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतद्द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रमाण पत्रों की सत्यता का परीक्षण करने हेतु निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,भागीदारी भवन, गोमतीनगर, उ0प्र0लखनऊ के अधीन स्वतंत्र सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिसमें संस्थान में कार्यरत शोध अधिकारी एवं उप निदेशक, जनजाति विकास विभाग **(यथाप्रकरण)** पदेन सदस्य होंगे। उक्तानुसार गठित सतर्कता प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय स्तर से कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-05.01.1996 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-(4) में दी गयी व्यवस्थानुसार गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से पुलिस बल की मांग की जायेगी एवं शासन द्वारा संदर्भित प्रकरणों के संबंध में अन्वेषण/सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by रजनीश चन्द्र
(रजनीश चन्द्र)
Date: ... 10:16:11
विशेष सचिव
Reason: Approved

<u>पृ0सं0-46(1)/2023/684(1)/26-3-2023-तददिनांक-</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन।
2-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
3-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
4-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
5-निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
6-निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया उपरोक्त के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सत्यापन से संबंधित समस्त लंबित प्रकरणों को निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,भागीदारी भवन, गोमतीनगर, उ0प्र0 लखनऊ को हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।
7-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ।
8-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ।
9-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।